(229)

संख्याः 221 /XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांकः 18 :मई,2010

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त कुल धनराशि **रु0 69850000.00 (छः करोड़ अट्ठानबे लाख पचास हजार मात्र)** को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

17/5/2010

228

(5)– उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

17/5/2010

(एल0एम0 पन्त)

प्र0 सचिव,वित्त

<u>संख्याः 221 (1) /XXVII (1)/2010,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।

5– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।

6– जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तराकाशी, उत्तराखण्ड।

7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

9– खण्ड विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

17/5/2010

(एल0एम0 पन्त)

प्र0 सचिव, वित्त

(227)

शासनादेश संख्याः– 221 :XXVII(1)/2010
दिनांक:: 18 ::मई,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों को विकासखण्डवार देय समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रथम किश्त
1	2	3	4	5
1-	पौड़ी	बीरोखाल	102	4145
		दुगड्डा	99	8148
		द्वारीखाल	99	4995
		एकेश्वर	83	2513
		कल्जीखाल	87	3216
		खिर्सू	43	1719
		कोट	68	2361
		लैंसडाउन(ज0खा0)	74	3261
		नैनीडाण्डा	89	4097
		पाबौ	74	3327
		पौड़ी	64	2066
		पोखड़ा	57	1677
		रिखणीखाल	81	3063
		थलीसैंण	102	5593
		यमकेश्वर	86	5068
		योगः–	**1208**	**55249**
2-	उत्तारकाशी	भटवाड़ी	77	2728
		चिन्यालीसौण	74	1650
		डुंडा	88	1898
		मोरी	62	2237
		नौगांव	113	5129
		पुरोला	40	959
		योगः–	**454**	**14601**
		महायोगः–	**1662**	**69850**

(छः करोड अट्ठानबे लाख पचास हजार मात्र)

17/5/2010
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।